न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 13 GCMS:- 2017/00004 दायर दिनांक : 08.02.2017

1. कु. कीर्ति पुत्री स्व. विक्रम प्रतापसिंह पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन ढ़ाबां हाल पालीवाला नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता सुनीता पत्नी स्व. विक्रम प्रतापसिंह पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन ढ़ाबां हाल पालीवाला तहसील सूरतगढ़
2. मु. सुनीता पत्नी स्व. विक्रम प्रतापसिंह पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन ढ़ाबां हाल पालीवाला तहसील सूरतगढ़

—प्रार्थीगण

बनाम

1. मुखराम पुत्र फरसाराम जाति जाट साकिन ढ़ाबां झालार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. कृष्णा पत्नी मुखराम पुत्र फरसाराम जाति जाट साकिन ढ़ाबां झालार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री शिशपाल शर्मा, अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री रामप्रताप तिवाड़ी, अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1—2
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 02.09.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने वाद—पत्र के साथ यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण सं. 1 व 2, प्रार्थीया सं. 1 के दादा—दादी हैं व प्रार्थीया सं. 2 के सास—ससुर हैं। प्रार्थीया सं. 1 के पिता व प्रार्थीया सं. 2 के पति विक्रम प्रतापसिंह का स्वर्गवास दिनांक 18.01.2015 को हो जाने के पश्चात् अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने प्रार्थीगण को अपने घर से निकाल दिया है। अब अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को न तो जीवन निर्वाह के लिए खर्चा देते हैं व न ही

क्रमशः... पेज 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:48:01 IST
Reason: SelfAttested

पुश्तैनी भूमि में प्रार्थीगण के पति/पिता का हिस्सा देते हैं जिसका प्रार्थीगण हकदार हैं। प्रार्थीया सं. 1 के पड़दादा–पड़दादी, प्रार्थीया सं. 2 के दादा ससुर–दादी सास व अप्रार्थी सं. 1 के पिता व माता फरसाराम पुत्र सरदाराराम व गीता पत्नी फरसाराम जाति जाट के नाम से चक 20 एल.जी.डब्ल्यू. व 11 एस.जी.आर. में पैतृक खातेदारी रकबा था जिसका बंटवारा उन्होंने अपने जीवनकाल में अपने तीनों पुत्रों सुखराम, मुखराम व गोपीराम के पक्ष में करके कब्जा सौंप दिया था, जिसके अनुसार प्रार्थीगण के दादा/ससुर अप्रार्थी सं. 1 के नाम चक 20 एल.जी.डब्ल्यू. की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता सं. 10/31 के पत्थर नं. 30/300 के किला नं. 1 ता 11, 15, 20 = 3.112 है0, व इसी चक के संयुक्त खाता सं. 31/21 के पत्थर नं. 24/294 के किला नं. 21 ता 25 = 0.734 है0, पत्थर नं. 24/295 के किला नं. 1 ता 25 = 6.325 है0, पत्थर नं. 25/295 के किला नं. 3/2 से 18/1 = 3.857 है0, पत्थर नं. 24/296 के किला नं. 1 ता 25 = 6.325 है0, कुल 17.241 है0 में से अप्रार्थी सं. 1 के नाम 0.700 है0 व अप्रार्थी सं. 2 के नाम 0.971 है0 एवं चक 11 एस. जी.आर. की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 के संयुक्त खाता सं. 23/20 के पत्थर नं. 29/302 के किला नं. 21/2 = 0.152 है0, पत्थर नं. 29/303 के किला नं. 1, 10, 11, 12/1 = 0.784 है0, पत्थर नं. 30/303 के किला नं. 2 ता 9, 12/1 से 15/1 = 2.529 है0, कुल 3.465 है0 में से अप्रार्थी सं. 2 के नाम 1.155 है0, इसी चक के संयुक्त खाता सं. 22/19 के पत्थर नं. 29/302 के किला नं. 2, 3, 8 ता 9, 11 ता 13, 18 ता 23 = 2.998 है0 में से अप्रार्थी सं. 2 के नाम 0.999 है0 एवं इसी चक के खाता सं. 82/57 के पत्थर नं. 30/303 के किला नं. 10, 11/1 = 0.379 है0 भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज कागजात राज है। उक्त तमाम भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को पैतृक प्राप्त हुई है व संयुक्त परिवार की सहदायी सम्पत्ति होने से उक्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता/पति विक्रम प्रतापसिंह का जन्म से ही 1/3 हिस्सा बनता है एवं विक्रम प्रतापसिंह के स्वर्गवास हो जाने के कारण प्रार्थीगण उक्त 1/3 हिस्सा भूमि की घोषणा व खाता विभाजन करवाने एवं कब्जा प्राप्त करने के हकदार हैं तथा जब

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:48:01 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः..... पेज 3 पर

तक कब्जा प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक प्रार्थीगण अपनी 1/3 हिस्सा भूमि को रिसीवर करवाकर कब्जा बहक रिसीवर दिलवाने के हकदार हैं ताकि प्रार्थीगण के हित सुरक्षित रह सके, इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया जा चुका है। अप्रार्थीगण अपने नाम दर्ज उक्त रकबा का हस्तान्तरण कर प्रार्थीगण को उनके हिस्सा से वंचित करना चाहते हैं, इसलिए दावे के निर्णय तक प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के नाम दर्ज उक्त रकबा में से प्रार्थीगण के 1/3 हिस्सा के रकबा को रिसीवर किया जाकर कब्जा बहक रिसीवर दिये जाने व यदि किसी कारणवश रकबा का कब्जा अप्रार्थीगण अपने पास रखना चाहते हैं तो प्रार्थीगण के हिस्सा के रकबा की 15,000/–रू. प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से ठेका राशि जमा करवाई जाकर, यह राशि प्रार्थीगण को दिलाये जाने एवं ताफैसला वाद प्रार्थीगण के हिस्से के रकबा को रहन–बैय हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभिभाषक प्रार्थीगण को इकतरफा सुना जाकर दिनांक 08.02.2017 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक वाके चक 20 एल. जी.डब्ल्यू. की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता सं. 40/31 के पत्थर नं. 30/300 की 3.112 है0, व इसी चक के संयुक्त खाता सं. 31/21 के पत्थर नं. 24/294, 24/295, 25/295, 24/296 की 17.241 है0 में से अप्रार्थी सं. 1 के नाम की 0.700 है0 व अप्रार्थी सं. 2 के नाम की 0.971 है0 एवं चक 11 एस. जी.आर. की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 के संयुक्त खाता सं. 23/20 के पत्थर नं. 29/302, 29/303, 30/303 की 3.465 है0 में से अप्रार्थी सं. 2 के नाम की 1.155 है0, इसी चक के संयुक्त खाता सं. 22/19 के पत्थर नं. 29/302 की 2.998 है0 में से अप्रार्थी सं. 2 के नाम की 0.999 है0 एवं इसी चक के खाता सं. 82/57 के पत्थर नं. 30/303 के किला नं. 10, 11/1 = 0.379 है0 अप्रार्थी सं. 1 के नाम की खातेदारी भूमि, इस प्रकार अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के नाम की उक्त तमाम भूमि में से 1/3 हिस्सा रकबा को बेचान हस्तान्तरण नहीं करने व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया

क्रमशः ..... पेज 4 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:48:01 IST
Reason: SelfAttested

गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 मुखराम द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 20.09.2017 को जैरप्रकरण रकबा में से चक 11 एस.जी.आर. के पत्थर नं. 30/303 के किला नं. 10/0.253 है0, 11/0.126 है0 = 0.379 है0 रकबा पर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा हटाये जाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र में अंकित प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सम्बन्धों को स्वीकार किया एवं शेष तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को कभी भी घर से नहीं निकाला। अप्रार्थीगण के दो पुत्र हैं, विक्रम प्रतापसिंह व अमरदीप। दोनों पालीवाला में एक ही घर में विवाहित हैं व दोनों की पत्नियां आपस में सगी बहिनें हैं। प्रार्थीगण स्वेच्छा से अपने पिता के साथ पीहर आई थी व कुछ दिन बाद यह प्रार्थना–पत्र पेश कर दिया। अप्रार्थीगण के नाम का जैरप्रकरण रकबा खरीदशुदा/आवंटनशुदा है। चक 20 एल.जी.डब्ल्यू. के पत्थर नं. 30/300 की 3.112 है0 भूमि अप्रार्थी सं. 1 ने निलामी में ली थी जो अप्रार्थी सं. 1 के नाना ने खरीद कर दी थी। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 शुरू से ही नाना के पास रहा है, इसलिए उन्होंने स्नेहवश निलामी में खरीद कर दी थी जो अप्रार्थी की स्वयं अर्जित सम्पत्ति की श्रेणी में आती है एवं खाता सं. 31/21 की 2.871 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि अप्रार्थी सं. 2 की सन् 2009 से खरीदशुदा स्वयं अर्जित भूमि है व इसी खाता की 2.100 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जरिये बैयनामा सन् 1996 में खरीद की गई थी, जो स्वयं अर्जित भूमि है। चक 11 एस.जी.आर. की खाता सं. 23/20 की 3.465 है0 में से 1/3 हिस्सा भूमि व खाता सं. 22/19 की 2.998 है0 में से 1/3 हिस्सा भूमि अप्रार्थी सं. 2 के नाम सन् 2009 से खरीदशुदा स्वयं अर्जित भूमि है एवं इसके अलावा खाता सं. 82/57 के पत्थर नं. 30/303 की 0.379 है0 भूमि प्रार्थना–पत्र से निकाली जा चुकी है जो चाचा बृजलाल की थी व अप्रार्थी सं. 1 की खरीदशुदा थी एवं पारिवारिक सेटलमेंट/लेनदेन में चाचा बृजलाल को वापस दे दी गई। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा उक्त समस्त भूमि को पैतृक कहने के तथ्य झूठे हैं। उक्त समस्त भूमि

क्रमशः ..... पेज 5 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:48:01 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण की स्वयं अर्जित भूमि है, जो बैयनामों से साबित है। अगर पैतृक मिलती तो बैयनामों की कहां आवश्यकता थी, दान–पत्र या वसीयत से प्राप्त होती। इस प्रकार अप्रार्थीगण के नाम की उक्त स्वयं अर्जित भूमि में अप्रार्थीगण के जीवनकाल में प्रार्थीगण या अन्य किसी का कानूनन हक व हिस्सा नहीं बनता व ना ही भूमि पर रिसीवर कायम किया जा सकता है एवं ना ही किसी कानून के तहत घोषणा की जा सकती है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र बेबुनियाद होने व जैरप्रकरण रकबा पैतृक साबित नहीं होने से न तो स्थगन जारी किया जा सकता है व न ही रिसीवर किया जा सकता है, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दियों, इन्तकाल रजिस्टर, पत्रावली परिवाद सुनीता बनाम मुखराम वगैरह, एफ.आई.आर. सं. 316/14.12.2016, बयानात, प्रकरण सं. 496/16 सुनीता बनाम मुखराम निर्णय दिनांक 14.08.2018, प्रकरण सं. 118/2018 मुखराम बनाम सुनीता निर्णय दिनांक 14.03.2008 आदि की चित्रप्रतियां साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की।

बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के नाम के रकबा में प्रार्थीगण के 1/3 हिस्सा के रकबा पर 15,000/–रू. प्रतिबीघा नकद प्रतिभूति राशि कायम की जाकर प्रार्थीगण को दिलवाये जाने व यदि अप्रार्थीगण राशि जमा नहीं करवाते हैं तो प्रार्थीगण के हिस्से के रकबा को रिसीवर किया जाकर कब्जा बहक रिसीवर दिलवाये जाने एवं वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण के 1/3 हिस्सा के रकबा को रहन–बैय आदि तरीके से हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की। अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.एल.डब्ल्यू. 2005 (2) पेज सं. 219, आर.आर.डी. 2001 पेज सं. 427, आर.आर.डी. 1990 पेज सं. 451, आर.बी.जे. 2010 पेज सं. 178, आर.आर.टी. 2009 पेज सं. 141, आर.एल.डब्ल्यू. 2004 पेज सं. 323, आर.एल.डब्ल्यू. 2005 (2) पेज सं. 222, आर.आर.डी. 2005 पेज सं. 349, आर.आर.टी. 2005 पेज सं. 812, आर.आर.डी. 1991 पेज सं.

क्रमशः ..... पेज 6 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:48:01 IST
Reason: SelfAttested

570, आर.आर.डी. 1992 पेज सं. 424, 565, 384, हिन्दू विधि (लेखक चन्द्रनाथ झा, स्वीय विधि अधिनियम 30 सन् 2010 द्वारा यथा संशोधित) में मिताक्षरा संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त सम्पत्ति में पैतृक आय से अर्जित भूमि व संयुक्त परिवार की भूमि – पेज सं. 700, 701, 693, 690, 689 व 691 प्रस्तुत किये। चक 20 एल.जी.डब्ल्यू. के इन्तकाल सं. 130 व 66, भवन निर्माण आज्ञा–पत्र, नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा जारी शाश्वत लीज व रसीद सुनीता पत्नी विक्रम प्रतापसिंह, सेक्रेड हर्ट स्कूल, एम्बिशन पब्लिक स्कूल द्वारा जारी प्रमाण–पत्र व रसीद आदि की चित्रप्रतियां प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि चक 20 एल.जी.डब्ल्यू. के पत्थर नं. 30/300 की 3.112 है0 भूमि अप्रार्थी सं. 1 ने निलामी में ली थी जो अप्रार्थी सं. 1 के नाना ने खरीद कर दी थी, जो अप्रार्थी की स्वयं अर्जित सम्पत्ति की श्रेणी में आती है एवं खाता सं. 31/21 की 2.871 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि अप्रार्थी सं. 2 की सन् 2009 से खरीदशुदा स्वयं अर्जित भूमि है व इसी खाता की 2.100 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जरिये बैयनामा सन् 1996 में खरीद की गई स्वयं अर्जित भूमि है। चक 11 एस.जी.आर. की खाता सं. 23/20 की 3.465 है0 में से 1/3 हिस्सा भूमि व खाता सं. 22/19 की 2.998 है0 में से 1/3 हिस्सा भूमि अप्रार्थी सं. 2 के नाम सन् 2009 से खरीदशुदा स्वयं अर्जित भूमि है एवं इसके अलावा खाता सं. 82/57 के पत्थर नं. 30/303 की 0.379 है0 भूमि प्रार्थना–पत्र से निकाली जा चुकी है जो चाचा बृजलाल की थी व अप्रार्थी सं. 1 की खरीदशुदा थी एवं पारिवारिक लेनदेन में चाचा बृजलाल को वापस दे दी गई। अप्रार्थीगण के नाम की उक्त स्वयं अर्जित भूमि में अप्रार्थीगण के जीवनकाल में प्रार्थीगण या अन्य किसी का कानूनन हक व हिस्सा नहीं बनता व ना ही भूमि पर रिसीवर कायम किया जा सकता है एवं ना ही किसी कानून के तहत घोषणा की जा सकती है। जैरप्रकरण रकबा अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है। यदि अप्रार्थीगण के स्वयं अर्जित व कब्जा काश्त के रकबा पर स्थगन जारी कर दिया गया तो अप्रार्थीगण काश्त सुविधा

क्रमशः ..... पेज 7 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:48:01 IST
Reason: SelfAttested

हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न योजनाओं से वंचित हो जायेंगे, जिससे अप्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण का बनता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र झूठे तथ्यों पर आधारित होने व जैरप्रकरण रकबा स्वयं अर्जित एवं कब्जा काश्त में होने से अंकित काश्तकार के विरुद्ध स्थगन जारी नहीं किया जा सकता है व न ही रिसीवर किया जा सकता है, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण निरस्त किये जाने की प्रार्थना की। जैरप्रकरण रकबा के स्वयं अर्जित होने की पुष्टि में बैयनामा दिनांक 28.11.1996 गोपीराम बहक सुखराम–मुखराम, बैयनामा दिनांक 29.01.2009 गीतादेवी बहक कृष्णादेवी व फरसाराम बहक कृष्णादेवी, खातेदारी सनद मुखराम पुत्र फरसाराम, बैयनामा दिनांक 04.01.2012 फरसाराम बहक मुखराम, बैयनामा दिनांक 24.07.1980 मेवसिंह वगैरह बहक गीतादेवी पत्नी फरसाराम, बैयनामा दिनांक 02.07.1965 हुक्माराम पुत्र खींवसी बहक फरसाराम पुत्र सरदाराराम, नगरपालिका द्वारा जारी पट्टा सुनीता पत्नी विक्रम प्रतापसिंह की चित्रप्रतियां व मकान की फोटो प्रस्तुत की। साथ ही तहसील संगरिया के चक 3 आर.टी.पी. द्वितीय की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 2072 खाता सं. 104 की प्रस्तुत चित्रप्रति की ओर ध्यान दिलाया जिसमें प्रार्थीगण के पिता/पति विक्रम प्रतापसिंह पुत्र मुखराम के नाम 0.127 है0 भूमि अंकित है जो बाद मृत्यु विक्रम प्रतापसिंह विरासतन जरिये इन्तकाल सं. 569/20.01.2016 प्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई व प्रार्थीगण द्वारा जरिये बैयनामा सुरेश कड़वासरा वगैरह को विक्रय कर दी गई जिसका इन्तकाल सं. 599 बैयनामा नि.दि. 06.03.17 दर्ज हुआ। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2009 (2) पेज सं. 1367, आर.आर.टी. 2012 (2) पेज सं. 1439, आर.आर.टी. 2015 (1) पेज सं. 633, आर.आर.टी. 2017 (2) पेज सं. 907 व हिन्दू विधि पेज सं. 558 व 578 की चित्रप्रतियां एवं माननीय न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत निगरानी सं. 118/2018 बअनवान मुखराम बनाम सुनीता निर्णय दिनांक 05.11.2018 की चित्रप्रति प्रस्तुत की।

क्रमशः ..... पेज 8 पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:48:01 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्याय निर्णयों का आदरपूर्वक पठन व मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थीगण जैरप्रकरण रकबा को पैतृक रकबा सिद्ध करने में असफल रहे हैं व ना ही उन्होंने कोई रकबा अपने कब्जा काश्त में बताया है। प्रार्थीगण ना तो अपना कब्जा स्पष्ट कर पाये व ना ही अधिकार। प्रार्थीगण का प्राथमिक रूप से मामला बनना प्रतीत नहीं होता। जैरप्रकरण रकबा अप्रार्थीगण का स्वयं अर्जित रकबा है, जिसके अप्रार्थीगण अंकित खातेदार काश्तकार हैं, जिसे अप्रार्थीगण ने सन्देह से परे सिद्ध किया है, व उनके कब्जा काश्त में है। प्राथमिक रूप से मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में बनना सिद्ध होता है। अंकित खातेदार काश्तकार के विरुद्ध स्थगन प्रदान किया जाना न्याय संगत नहीं है। अंकित खातेदार काश्तकार के विरुद्ध स्थगन ना देने का निर्देश माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के न्याय निर्णयों में भी है। इस मामले में अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त पूर्ण रूप से प्रभावी प्रतीत होते हैं। स्थगन या रकबा रिसीवर किये जाने के किसी भी आवश्यक तत्व की पूर्ति वर्तमान प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण द्वारा नहीं की गई है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्राथमिक रूप से मामला ना बनने व अंकित काश्तकार के विरुद्ध स्थगन का दिया जाना उचित ना होने के कारण प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण दिनांक 08.02.2017, अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निरस्त कर, पूर्व में जारी स्थगन दि. 08.02.2017 निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:48:01 IST
Reason: SelfAttested